

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ- 1479/1742/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक

5-9-2017  
~~अप्रैल~~ 2017

प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

विषय :- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग के लिये मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।


\*\*\*

मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 530/3226/2001/ सी/चार दिनांक 30 मार्च 2002 द्वारा वित्तीय अधिकार दिये गये थे। उक्त प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अतिरिक्त निम्नानुसार और अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

BHOPAL GAS TRAGEDY RELIEF AND REHABILITATION DEPARTMENT				
Financial Powers in respect of Commissioner, Gas Relief and Rehabilitation, Bhopal				
S. No.	Description	Authority competent exercise the powers	Extent of delegation	Conditions
1	2	3	4	5
1	Reimbursement of expenses incurred on Radio diagnostic investigations of gas victim and their children patients done by empanelled institutions	1. Director 2. Joint Director	Full powers. Up to Rs. 5.00 lakh	Subject to prior concurrence of the reimbursement policy by F.D. and at rates approved by F.D.

2. यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुखर्जी)  
प्रमुख सचिव

म0प्र0शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ- 147/ /1742/2017/नियम/चार  
2017

भोपाल, दिनांक 5.9.17

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आयुक्त भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास भोपाल।
3. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

18